फारम –VIII – क

कार्यालय नगर परिषद् सम्पतचक

भवन की योजना के अनुमोदन

उपविधि संख्या –8(4)

आप के आवेदन संख्या –/04 तिथि –05/12/2023 के संदर्भ में आवेदक अश्विनी कुमार, ,पिता– श्री लक्ष्मी नारायण सिंह, पता– ग्राम–चकपुल, पो0–मितनचक, थाना–गोपालपुर, पुनपुन, जिला–पटना, पिन कोड–804453 राज्य–बिहार द्वारा प्लॉट नं0–168, खाता नं0–72, थाना नं0–107, मौजा–चकपुल, नगर परिषद, सम्पतचक, जिला–पटना के लिए फ्लोर– B+G+6 मंजिला के लिए–

(क) आवासीय भवन के निर्माण

(ख) व्यवसायिक भवन के निर्माण

(ग) भवन के पुनः निर्माण

(घ) विद्यमान भवन में परिवर्तन या परिवर्धन

(ड) भवन के उपयोग में परिवर्तन

हेतु सम्पतचक नगर परिषद/नगर निगम/नगर परिषद/नगर पंचायत/महानगर क्षेत्र/बिहार शहरी आयोजना तथा विकास अधिनियम, 2012 के अधिन स्कीम के आवेदक अश्विनी कुमार, ,पिता– श्री लक्ष्मी नारायण सिंह, पता– ग्राम–चकपुल, पो0–मितनचक, थाना–गोपालपुर, पुनपुन, जिला–पटना, पिन कोड–804453 राज्य–बिहार द्वारा प्लॉट नं0–168, खाता नं0–72, थाना नं0–107, मौजा–चकपुल, नगर परिषद, सम्पतचक, जिला–पटना के लिए फ्लोर– B+G+6 मंजिला, जिला- पटना के बाबत निम्नलिखित शर्तो/निर्वधनों के अध्याधीन एतद् द्वारा भवन योजना जिसका प्लान केस नं0–04/2023-24 है जिसका निर्माण क्षेत्र 6673.30 वर्ग मीटर एवं B+G+6 की स्वीकृति दी जाती है:–

(क) भूमि/भवन का उपयोग अनन्य रूप से आवासीय प्रयोजन के लिए किया जाएगा और इस प्राधिकार के पूर्व अनुमोदन के बिना उपयोगों को किसी अन्य उपयोग के लिए परिवर्तित नहीं किया जाएगा।

(ख) विकास पूर्ण रूप से आवश्यक अनुमति के पृष्ठांकन के साथ संलग्न योजनाओं के अनुसार किया जाएगा।

(ग) अनुमोदित योजना में दर्शाया गया पार्किंग का स्थान खुला रखा जाएगा और इसके किसी भाग पर निर्माण नही किया जाएगा।

(घ) प्रस्तावित निर्माण वाली भूमि 12.00 मी0 चौडाई के अनुमोदित पहुँच मार्ग के माध्यम से सुगम्य होगी।

(ड) प्रश्नगत भूमि आवेदक के विधिपूर्ण स्वामित्व एवं शांतिपूर्ण कब्जा में अवश्य हो।

(च) सड़क को मानक चौड़ाई तक और चौड़ी करने के लिए आवेदक, विभिन्न विकास योजना /आयोजन प्राधिकारों/या बिहार शहरी आयोजन तथा विकास अधिनियम, 2012 के अधीन अधिसूचित किसी योजना स्कीम के अधीन आच्छादित सुसंगत आयोजना प्राधिकार क्षेत्रों के अधिनस्थ नगर परिषद सम्पतचक आयोजना क्षेत्र में वांछित भूमि की पट्टी, उक्त उपहार के रूप में देगा।

(छ) अनुमति (अनुज्ञा) जारी किए जाने की तारीख से पॉच वर्षों की अवधि के लिए विधिमान्य होगी।

(ज) इस उपबंध के अधीन दी गई अनुमति को उस भुखडं जिसके लिए योजना अनुमोदित की गई हो के अधिकार, हक, हित, बाबत साक्ष्य नही मानी जाएगी।

(झ) योजना के अनुमोदन के पश्चात् भू – अभिलेख के कारण या अधिकार /हक/ हित की बाबत कोई विवाद होने पर विवाद की अवधि के दौरान योजना का अनुमोदिन स्वतः रद्व समझी जाएगी।

(ञ) भू– स्वामित्व एवं नक्शा से संबंधित समस्त दस्तावेजों /कागजात के सत्यापन की जिम्मेदारी आवेदक की है। भविष्य में इसमें किसी प्रकार की त्रुटि/हेर–फेर/कपटपूर्ण रचना पाये जाने पर नक्शा अस्वीकृत किये जाने के साथ–आवेदक के विरूद्व विधि सम्मत कार्रवाई की जायेगी।

(ट) भवन का निर्माण स्वीकृत नक्शे के अनुरूप ही किये जायें, भविष्य में किसी भी प्रकार के अनियमितता/विचलन पाये जाने की स्थिति में सम्पूर्ण जवाबदेही आवेदक की होगी एवं विधि सम्मत कार्रवाई के पात्र होंगे।

(ठ) Environmental Protection Act. के तहत बहुमंजिले भवन के निर्माण के दौरान ढ़क कर निर्माण किया जाना अनिवार्य होगा।

(ड) ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम (Solid Waste Management Rules), 2016 एवं भवन में वाटर हार्वेस्टिंग का अनुपालन किया जाना अनिवार्य है।

(ढ) अन्य शर्तः–

बिहार नगर पालिका अधिनियम 2007, बिहार भवन उपविधि 2014 एवं बिहार भवन उपविधि 2014 (संशोधित) के संगत प्रावधानों का अक्षरशः अनुपालन करते हुये भवन निर्माण किया जायेगा।

नगर कार्यपालक पदाधिकारी,
नगर परिषद, सम्पतचक।

ज्ञापांकः– 1153 /दिनांकः– 20/12/2023

प्रतिलिपि– श्री अश्विनी कुमार, ,पिता– श्री लक्ष्मी नारायण सिंह, पता– ग्राम–चकपुल, पो0–मितनचक, थाना–गोपालपुर, पुनपुन, जिला–पटना, पिन कोड–804453 राज्य–बिहार को सूचनार्थ प्रेषित।

नगर कार्यपालक पदाधिकारी,
नगर परिषद, सम्पतचक।

कार्यपालक पदाधिकारी
नगर परिषद सम्पतचक
(पटना)

E:\Sampatchak\Building Report\Ashwini kumar\ORDER Ashwini Kumar.docx